

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 सितम्बर 2018—भाद्र 10, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

फा. क्र. 01-वि.निर्वा.-3-2018-180.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

1. No. 23/MP/2018 (Special) dated 31st August, 2018
2. संख्या 23/म.प्र./2018 (विशेष) दिनांक 31 अगस्त, 2018

संदीप यादव, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2018—09 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

संख्या 23-म.प्र.-2018 (विशेष).—यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 07-05-2018 के अपने पत्र संख्या 23-पत्र-ईसीआई-प्रकार्या.-ईआरडी-ईआर-2018 के द्वारा 01-01-2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, मध्यप्रदेश राज्य की निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यतः, राज्य में प्रारूप नामावलियां 31 जुलाई, 2018 को प्रकाशित कर दी गई थी; और

यतः, मध्यप्रदेश राज्य में दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि 31 जुलाई, 2018 (मंगलवार) से 21 अगस्त, 2018 (मंगलवार) तक नियत की गई थी; और

यतः, आयोग की दिनांक 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 23-म.प्र.-2018 (विशेष) के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में दावों एवं आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि 31 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) तक बढ़ा दी गई थी; और

यतः, आयोग द्वारा राज्य में फोटो निर्वाचक नामावली की पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की गई है तथा यह निर्णय लिया है कि दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की समयावधि को 07 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए;

अतः, अब, आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 01-01-2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में, निर्वाचक नामावलियों के चल रहे द्वितीय विशेष सार पुनरीक्षण के लिए, मध्यप्रदेश राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख को 07 सितम्बर, 2018 (शुक्रवार) तक विस्तारित करता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 31st August, 2018—09 Bhadrapada, 1940 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 23-MP-2018 (Special).—WHEREAS, the Election Commission had announced the schedule for Second Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 01-01-2018 as the qualifying date, of Madhya Pradesh State, vide its letter No. 23-LET-ECI-FUNC-ERD-ER-2018, Dated 07-05-2018; and

WHEREAS, the draft rolls were published on 31st July, 2018 in the State; and

WHEREAS, the period for filing claims & objections in Madhya Pradesh State was fixed from 31st July, 2018 (Tuesday) to 21st August, 2018 (Tuesday); and

WHEREAS, the period for filing claims & objections in Madhya Pradesh State extended upto 31st August, 2018 (Friday) vide Commission's Notification No. 23-MP-2018 (Special) dated 10th August, 2018; and

WHEREAS, the Commission has reviewed the progress of revision process of Photo Electoral Rolls in the State and decided that the period for filing claims & objections should be further extended upto 07th September, 2018;

NOW, THEREFORE, the Commission in exercise of the power conferred by the provision to Rule 12 of the Registration of Electoral Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies in the state of Madhya Pradesh, the period of filing claims & objections upto 07th September, 2018 (Friday) for the ongoing Second Special Summary Revision of Electoral Rolls with reference to 01-01-2018 as the qualifying date.

By order,
Sd./-
(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.